डॉ0 अम्बेडकर के दर्शन में सामाजिक समावेशन

डॉ0 पवन गुप्ता
असि0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान,
पं0 कमलापति त्रिपाठी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौली

भारत के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय इतिहास में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ऐसे विचारक हैं, जिन्होने तत्कालीन भारतीय समाज की धारा को एक नया मोड़ देते हुए समवेत सामाजिक उन्नयन का पथ प्रशस्त किया। डॉ0 अम्बेडकर का स्वप्न एक सुदृढ़, समुन्नत सफल राष्ट्र एवं समाज का सपना था। जिसमें सब समान हों तथा सब परस्पर प्रेमष सहयोग और बन्धुत्व के साथ रहें। उन्होंने जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की परिकल्पना की। वह कहा करते थे दास को उसकी दसता का अहसास करा दो वह अपनी दासता के विरूद्ध खुद ही विद्रोह कर देगा। उन्होंने 1920 में मूकनायक नामक पत्रिका का प्रकाशन कर अपने समाज की दयनीय दशा का वर्णन किया। करोड़ो दलितों को उनकी दीन–हीन दशा का ज्ञान करा कर असमानता तथा अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाने का साहस पैदा किया। डॉ0 अम्बेडकर ने किसानों की समस्याओं को उठाया। उन्होने जमींदारी प्रथा को किसान विरोधी बताते हुए उसे समाप्त करने की मांग की। उन्होंने किसानों को अन्याय व अत्याचार के सामने न झुकने के लिये प्रेरित किया। डॉ अम्बेडकर ने सदैव निम्न वर्ग के कल्याण हेतु प्रयत्न किया। साथ ही डॉ अम्बेडकर ने एक राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, विधिवेत्ता, सुधारक, वकील, शिक्षक, आदि के रूप में काम किया। वह कट्टर परम्परावाद और निरर्थक पुरातनवाद से हटकर एक नई व्यवस्था के मसीहा थे। उनका मानना था कि भारतीय विचार पद्धति में धर्म की कटटर–पंथी परिभाषा से आम आदमी का कल्याण व उत्थान सम्भव नहीं है। उन्होंने अपने मौलिक ग्रंथ ''भगवान बुद्ध और धम्म'' में इस बात पर बल दिया की मानव जाति विशेषकर पददलित, कमजोर व पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए आदमी का सीधा सम्बन्ध आदमी से होना चाहिए और इसके द्वारा ही सामाजिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बानाया जा सकता है। यही उनके मानववादी चिन्तन का सारतत्व है। यह मानववादी दर्शन सामाजिक दलदल में फसे आदमी को बाहर निकाल कर न्याययोचित समाज में प्रतिष्ठित करता है। इस मानववादी चिन्तनधारा को अनेक लोग समाजिक न्याय की अभिधारणा का नाम देते है।

समाजिक न्याय एक ऐसा शब्द है जो हर उस व्यक्ति को गरिमा प्रदान करता है जिसका वास्तव मे इस पर विश्वाश है। किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध होना ही चाहिए यह अन्याय चाहे किसी भी प्रकृति का हो जो समाज में हो रहा हो। इसी सामाजिक न्याय को समाज में प्रतिष्ठित करने का एक स्वप्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने दलित व अन्य शोषित वर्गों के उत्थान के सन्दर्भ में देखा। उन्होंने न्याय की इस ज्योति को समाज की कमजोर वर्गो के सहयोग से प्रज्जवलित करवाने का प्रयास किया था। जहां समाजिक न्याय की स्थापना का प्रश्न है वहां आज हम देखते है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न्याय से उपेक्षित है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचितजातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्गो के अतिरिक्त नारी की वर्तमान स्थिति, श्रमिकों का शोषण, एवं अन्य मानसिक शोषण इत्यादि मुख्य है। जिनमें समाजिक न्याय की समस्या महत्वपूर्ण व गम्भीर है। हमारे संविधान में इन लोगों के कल्याण के लिए पर्याप्त व्यवस्थायें की गई हैं। अनेक नियम व कानून बनाये गये है, इसी प्रकार हर वर्ष कई राजाज्ञायें एवं परिपत्र जारी किये जाते है। जिनका उद्देश्य इन लोगो को समाजिक न्याय उपलब्ध कराना है,परन्तु इन सब के बावजूद भी इन लोगों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। समाजिक न्याय का मूल मंत्र यही है कि संगठित समाजिक जीवन से जो भी भिन्न–भिन्न प्रकार के लाभ है वे इने गिने लोगों के हाथों सिमट कर न रह जाये बल्कि सर्वसाधारण को विशेषतयः श्रमजीवि वर्ग, दलित व अछूतों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों,, व विकलागों को उनका पर्याप्त हिस्सा मिले जो समाजिक न्याय के कार्य क्षेत्र का मूल विषय है।

समाजिक न्याय से तात्पर्य आर्थिक व समाजिक क्षेत्र में न्याय की स्थपना करना। स्वतत्रंता समाजिक न्याय का एक अत्यंत्र महत्वपूर्ण अस्त्र है। यह कुछ बुनियादी अधिकारों की बात करती है जो व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए जरूरी है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अन्तरनिहित शक्तियों के विकास के लिए जरूरी है। इस पर रोक लगने से व्यक्ति की सृजनशील शक्तियां कुण्ठित हो जाती है। उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना दब जाती है और कार्य के प्रति उत्साह घट जाता है जिससे व्यक्ति के साथ–साथ समाज के विकास में बाधा पहुँचती है इसके विपरीत समानता के अभाव में स्वतंत्रता के नाम पर समाज में कुछ लोग बहुसंख्यक लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाते है। समाजिक न्याय के विचार नें आधुनिक युग में व्यक्ति को स्वतंत्रता व समानता के विविध प्रवाधानों के साथ रंग, लिंग व जन्म जात भेद–भाव की समाप्ति तथा शोषण व बेगार से मुक्ति पर जोर दिया हैं अतः समाजिक न्याय का प्राथमिक लक्ष्य समाज के सभी व्यक्तियों के लिए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अवसर जुटाना होना चाहिए क्यों कि अस्तित्व के बिना विकास का प्रश्न उत्पन्न नही होता है। इस प्रकार स्वंतत्रता, समानता, व व्यक्तित्व की गरिमा समाजिक न्याय के प्रमुख घटक है, इनमें से किसी एक घटक का अभाव समाजिक न्याय का अभाव है।

जहां तक भारतीय समाज की बात है यहां की एक बड़ी जटिलता जाति व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था के पैरोकारों ने कुछ खास जाति वर्ग के लोगों को जन्म के आधार पर वे सब लाभ पहुचांये जिन्हें पुरूषार्थ के बल पर वे हासिल नही कर सकते थे। दूसरी ओर बड़ी संख्या में विशेष वर्ग के जाति के लोगों को जन्मना आधार पर सामाजिक जीवन की मुख्य धारा सें अलग–थलग व बाहिष्कृत रखा गया। शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार सीमित कर बौद्धिक विकास के मार्ग अवरूद्ध कर दिये गये । ऊँच–नीच, स्पृश्य–अस्पृश्य जैसे भेद–भाव पैदा कर एक– दूसरे हितों के विरोधी वर्ग खड़े कर दिये गये। धर्म ग्रन्थों में व्यवस्था कर दी गई की हर एक को वर्णविधान के अनुसार व्यवहार करना होगा। डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों की पिछड़ेपन की व सामाजिक अन्याय की जड़े हिन्दूओं की वर्ण व्यवस्था में पायी। डॉ0 अम्बेडकर समाज की अस्वस्थ परमपराओं को समाप्त कर समानता पर आधारित नया समाज बनाने का जोरदार आन्दोलन छेड़ा। अर्थशास्त्र में पी–एच0डी0 होने के बावजूद उनकी आर्थिक दृष्टि का लाभ देश को नही मिला लेकिन विधि–विशेषज्ञता की चुनौती को उन्होनें स्वीकार किया जो कि संविधान शिल्पी के रूप में मिलता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए राजतंत्र व सामन्तवाद की काली छाया बचाते हुए संविधान का निर्माण भारतीय नागरिकों की स्वतंत्र परिकल्पना के अनुरूप, युगीन आवश्यकताओं और व्यापक जनहितों को ध्यान में रखकर किया। पुराने कायदों की अपेक्षा इस नये कायदें में मूल–भूत अन्तर रखा क्योंकि वर्ण विभाजन का कायदा विषमता मूलक था। जिसे धार्मिक स्वीकृति प्राप्त थी जबकि नये संविधान में सभी के लिए समान मताधिकार का प्रावधान कर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का निमार्ण किया। मूल भावना व उद्देश्य समाजिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था प्रकारान्तर से समाजिक मानववाद की स्थापना करना।

डॉ0 अम्बेडकर ने प्लेटो, अरस्तु, थ्रेसीमेकस, नीत्से, आदि विचारकों की न्याय की अवधारणा को नकारते हुए कहा कि इनमें से किसी ने भी समाजिक न्याय को सामान्य आदमियो से नही जोड़ा उनकी व्यवस्थाओं में समाजिक न्याय का मुख्य केन्द्र एक विशेष वर्ग का हित ही रहा है। उनके समाज दर्शनों में एक ही वर्ग की श्रेष्टता का गुणगान किया गया है। समाजिक न्याय की मार्क्सवादी धारणा को भी डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय सामाजिक स्थिति में स्वीकार नही किया। उनका सामाजिक न्याय का सिद्धान्त भ्रातृत्व की भावन पर आधारित है अतः भ्रातृत्व उनके समाजिक न्याय की आधारभूत शिला है। आदमी का आदमी से सम्बन्ध व मानववादी चिन्तन उनका सारतत्व है। न्याय को स्पष्ट करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने कहा थी कि न्याय सामान्यतः स्वतंत्रता, सामानता और भातृभाव का दूसरा नाम है। भ्रातृत्व का अर्थ सभी भारतीयों के बीच एक सामान्य भाई चारे की भावना है, सभी भारतीय एक राष्ट्र है। यही वह आदर्श है जो सामाजिक जीवन को एकता और सृदृढता प्रदान करता है।उनके सामाजिक न्याय की धरणा का यही आधार भूत विचार है। वह मानव व्यक्तित्व की गरिमा मे अर्न्तनिहित विचार है जिसे उन्होनें संविधान का मुख्य निर्माता होने के नाते न्याय, स्वतंत्रता, सामानता, भातृभाव व मनुष्य की गरिमा के मूल्यों पर निर्धारित किया। यह सामाजिक न्याय की भावना सामाजिक जीवन में पारस्परिक सम्मान और दायित्व के

महत्व को प्रमाणित करती है। डॉ0 अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की धारणा एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसके अनुसार सामाज के प्रत्येक व्यक्ति को उचित स्थान मिलना चाहिए लेकिन उचित स्थान का मतलब यहां जन्म आधारित सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं। इसका सीधा अर्थ वह योग्यता या गुण है जिसके अनुसार किसी को सही–सही सामाजिक प्रतिष्ठा मिले। डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक न्याय धारणा के मुख्य तत्व इस प्रकार है– सम्मानपूर्वक रहें और रहने दें, सभी को मान–सम्मान मिले, किसी के प्रति हिंसा न की जाय, स्थाई अथवा तथाकथित स्वाभाविक वर्गो में बांटे बिना प्रत्येक को अपना विवेक पूर्ण हिस्सा मिले, संविधानिक शासन के प्रति निष्ठापूर्वक रहना, विधि के समक्ष समता, समान अधिकारों की स्वीकृति, संविधानिक कर्तव्यों का निर्वाहा, सामाजिक दायित्वों और विधिक कर्तव्यों की अनुपालना, कुछ प्राथमिकताओं सहित सभी को समान अवसरों की सुलभता, सम्पत्ति–शिक्षा की उपलब्धता और अन्ततः न्याय, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व तथा राष्ट्रिय एकता सहित मानव व्यक्तित्व की गरिमा ।

डॉ0 अम्बेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय के सिद्धान्त का सीधा सम्बन्ध भारत की अखण्डता से है अर्थात इस मातृभूमि में रहने वाले सभी नागरिक समानता भाई–भाई है चाहे वे हिन्दू हों, जैन तथा बौद्ध या यहूदी तथा पारसी या फिर मुस्लिम औार ईसाई । इस प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का विचार लोगों मे मात्र राष्ट्रीय भौतिक लाभों का न्यायोचित वितरण नही, अपितु वह मूलताः ऐसी जीवन पद्धति का समर्थक है जो पारस्परिक मान–सम्मान, मैत्री–भाव, समान नागरिक होने की उत्कण्ठा, राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में न्यायोचित भागीदारी आदि पर आधारित हो अतः सामाजिक न्याय का मानदण्ड मात्र भौतिक प्रगति नही है, मात्र शारीरिक भूख–प्यास मिटा देना नही है, कुछ सुख सुविधाये या सरकारी नौकरी देना नही है, बल्कि इनसे भी महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत के नागरिकों, सभी वर्गो व धर्मों के लोगों के बीच उन मानव मूल्यों तथा आधारों की बाहुल्तया है जिनसे सामाज की व्यवस्था न्यायोचित बने तथा राष्ट्रीय जीवन समरसता की दिशा में अभिवृद्धि हों ।

जहां तक डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक न्याय दर्शन का प्रश्न है तो वह मानवता का दर्शन है। वे दर्शन को सामाजिक व नैतिक अर्थ में लेते थे। वह उसे सामाज परिवर्तन की विधि बनाना चाहते थे। चूँकि वह उपेक्षित मानवता एवं यथार्थता के समर्थक थे इसलिए उनकी रूचि सामान्य मनुष्य के दर्शन में थी। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार मूल समस्या मनुष्य तथा ईश्वर के बीच सम्बन्ध स्थापित नही करने की नही थी किन्तु मानव–मानव के बीच अच्छे व शुभ सम्बन्ध विकसित करने की थी। उनका मानना था कि यह जगत देवी देवताओं से नही अपितु उन जीवति प्राणियों से निर्मित है जो उसे सामाजिक दृष्टि से उन्नत और नैतिक रूप में शुभ व उत्तम बना सकते है। मनुष्य के सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने वर्ण मानदण्ड के स्थान पर मानववादी मानदण्ड को अपनाया। जिसमें जातिगत भेद–भाव, धार्मिक संकर्णता, जन्म आधारित प्रतिष्ठा, धन की बाहुल्यता, स्थान विशेष की उच्चता का कोई निर्णयाक महत्व नही था। उनका कहना था कि मेरा समाज दर्शन तीन शब्दों में निहित किया जा सकता है–स्वंतत्रता, समता, व भ्रातृभाव। ये तीनों तत्व डॉ0 अम्बेडकर की दार्शनिक अर्न्तदृष्टि के आधार भूत तत्व है जो मानव सम्बन्धों के क्षेत्र में प्रासंगिक व उपयोगी है।

डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक न्याय अवधाराणा सामाजिक न्याय के अन्य पक्षधर लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक एवं बोधगम्य है। इनकी अवधारणा में व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित है। जिसने तीन प्रकार के संदेश दिये है जैसे सामाजिक संदेश, आध्यामिक संदेश व शैक्षणिक संदेश। इनके सामाजिक संदेश तीन प्रमुख सिद्धान्त यथा समता, स्वंतत्रता व भ्रातृत्व शामिल है। डॉ0 अम्बेडकर की इच्छा थी कि विवेकपूर्ण एवं न्यायोचित समाज का आधार समता, स्वंतत्रता, भ्रातृत्व एवं न्याय हो। इनके अध्यात्मिक संदेश में देवता, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के अस्तित्व का कोई स्थान नही है वरन इस संदेश बुद्ध, धम्म व संघ का त्रिस्वरूप विद्यमान है। बुद्ध, धम्म व संघ का त्रयी सिद्धान्त डॉ0 अम्बेडकर के जीवन दर्शन की आधारशिला है। इनका शैक्षणिक संदेश शिक्षित बनों, संघर्ष करों, तथा संगठित हो, केवल ऐसी कोई तकनीक या विधि नही है जिससे सामाज को एकाएक बदला जा सकें अपितु यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा समाज का शनेः–शनेः पुर्ननिर्माण व विकास हो । सामाजिक विचारों से इन्होनें भारत के दलित वर्गो को शिक्षित करने का प्रयास किया इनकी सोच थी कि भारत के

सामाजिक पतन का मुख्य कारण जाति व वर्ण व्यवस्था के प्रति विश्वास था। व्यक्ति व राष्ट्र की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए समाज को जाति व वर्ग के शिकंजे से मुक्त करना होगा इनका मानना था कि असमानता व शोषण पर आधारित विभक्त समाज राष्ट्र के शत्रु का सामना नही कर सकता और न ही राष्ट्र की एकता व अखण्डता को कायम रख सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉ0 अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तथा सामाजिक न्याय को भारतीय संविधान के चार प्रमुख स्तम्भ माने तथा दलित वर्ग को उनके मौलिक अधिकारी दिलाये उनमें आत्मसम्मान व राष्ट्रीयता की ज्योति जगाई ताकि वह दासता की भावना से मुक्त होकर प्रजातंत्र के फल का स्वाद चख सके। राजनैतिक चिन्तक के रूप में प्रजातंत्र के संकल्पना में डॉ0 अम्बेडकर ने शान्ति व सामाजिक न्याय दो नई विमायें जोड़ी। डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक विचार आधुनिक व प्रासंगिक ही नही अपितु पारंपरिक भी है क्योंकि इनके सामाजिक विचारों की व्युत्पत्ति बुद्ध के सामाजिक दर्शन से हुई है। इनके सामाजिक विचार विवेकपूर्ण व न्याय संगत सामाज को विकसित करने के लिए भी प्रासंगिक है। आधुनिक भारत के तमाम सामाजिक व राजनैतिक आन्दोलन इनके सामाजिक विचारों से निदृष्ट हो रहे है। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक न्याय की अवधारणा भारतीय परिस्थिति से उपजा एक सक्रिय दर्शन है। जो सामाजिक मुक्ति का मार्ग प्रसस्त करता है। अतः सामाजिक न्याय दर्शन समाज में क्रांन्तिकारी परिवर्तन के लिए सशक्त वैचारिक नैतृत्व प्रदान करते हुए सतत आन्दोलन की दिशा को भी निधारित करता है।

सन्दर्भ :

1. अहालूवालिया, बी0के0–बी0आर0 अम्बेडकर एण्ड ह्यूमन राइटस, विवेक पब्लिकेशन कम्पनी दिल्ली, 1981 पेज 12–13
2. बेली, एल0आर0–डॉ0 अम्बेडकर ने क्या किया, भीम पत्रिका जांलधर। पेज 65–66
3. धवन, एस0के0–डॉ0 अम्बेडकर ए0 सलेक्ट प्रोफाइल, वेब पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4. घटक, बी0आर0–बी0आर0 अम्बेडकरस थॉट, ए0पी0एच0 पब्लिकेशन नई दिल्ली। पेज 43–44
5. जाटव, डी0आर0–शोसल फिलॉसफी ऑफ डॉ0 बी0आर0अम्बेडकर, फोनिक्स पब्लिसर, आगरा। पेज 11–12
6. जाटव, डी0आर0–पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ डॉ0 बी0आर0अम्बेडकर, फोनिक्स पब्लिसर आगरा पेज 37–38
7. बाली, एल0आर0–डॉ0 अम्बेडकर जीवन एवं मिशन नागपुर 1992.
8. कीर, धनजंय–डॉ0 अम्बेडकर हिस लाइफ एण्ड मिशन मुम्बई 1954. पेज 23–24
9. हर्ष, हरदान–डॉ0 भीमराव अम्बेडर जीवन एवं दर्शन जयपुर 1995.